

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र ब्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बान से ही किया जावे व
कि किसी जब बदाइकरी के बान से।
उम्मेदित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
ब्यवहार हुआ हो तो एवं क्रमाक एवं विवाक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुनिध हो।



ग्राम : दूलीपुर्टी
दूरध्वनी : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341758

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4534

दिनांक: 09/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जय श्री राम बी.एड. कॉलेज, मुरैना (94254-56292) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्यायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के
लिये आजकलीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के
परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. डी.एन. गोस्वामी आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442842)
- (2) प्रो. ए.के. शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. बी.एल. यादव, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (4) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधानों के अवृल्प महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, बांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं
पाठ्यक्रम/आईडिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रगाम पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की
नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने
के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है
कि वे उक्त विधीनित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा
करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना
आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः विरस्त हो
जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण
समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की
वस्तुदिवानी से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / माजदेव महाविद्यालय द्वारा देय
होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक ने संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
दिनांक विधीनित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समलूप एवं अवहार कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के बान में सी लिखा जावे ज
कि विकासी अन्वय पदाधिकारी द्वारा लगा हो।
उन्मत्तित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
अवहार हुआ हो तो एवं कमांक एवं रिकांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



वार्ष : जूनीयरिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(ग्वालियर)
2442462 फ़िल्म्स
फैक्स : (0091)-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiawaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4-6 82

दिनांक : २१/०३/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय आधिकारियम 1973 की धारा 26(i)(v), एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09 फरवरी 2012 के पद क्रमांक (02) के ग्रिन्यानुसार जय श्रीराम बी.ए. महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. प्रथम वर्ष-आ.पा. हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, (अनि.वि.) अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, बी.एस.सी. प्रथम वर्ष-आ.पा. गणित, औरियन, रसायन, जन्मुविज्ञान, वनस्पति पाठ्यक्रमके लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टॉफ एवं प्राचार्य की नियुक्ति 28(17) के अनुसार यथाशीघ्र की जावे।
2. खेल प्रांगण को उपयुक्त सामग्री से सजित किया जावे।
3. विज्ञान की प्रयोगशालाओं में और अधिक उपकरण क्रय कर रखे जावे।
4. पुस्तकालय में पुस्तकों पाठ्यक्रमों की वृष्टि से अपर्याप्ति है। अतः परिनियम 27-28 के अनुसार पुस्तकों क्रय की जावे।
5. दूसरे महाविद्यालय एक दीर्घ सोत्र को Cover करता है। अतः बी.ए. प्रथम वर्ष और बी.एस.-सी. प्रथम वर्ष देतु क्रमांक 30,30 सीटें माज्य।

प्राचार्य, जय श्रीराम बी.ए. महाविद्यालय, मुरैना।

आदेशानुसार

कुलसंचित

प्रति,

1. प्राचार्य, जय श्रीराम बी.ए. महाविद्यालय, मुरैना।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसंचित (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सदा-कुलसंचित (सम्बद्धता)